न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 79 / 2020

1. सुनील कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........प्रार्थी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र लीलाधर जाति अहीर निवासी सांतौर तहसील बुहाना।
2. कैलाशचंद पुत्र रधुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी नावता तहसील बुहाना।
3. कंवरसिंह पुत्र रधुवीरसिंह जाति अहीर निवासी ढाणी नावता तहसील बुहाना।
4. फुलचंद पुत्र विशालसिंह जाति अहीर निवासी सांतौर तहसील बुहाना।
5. रतन पुत्र केदारनाथ जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
6. राजेन्द्र पुत्र केदारनाथ जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
7. बीना पुत्री केदारनाथ जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
8. दुलीचंद पुत्र मुसदीलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
9. निशा पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
10. पुष्पा पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
11. संजय कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
12. अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
13. गुणवति पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
14. उपपंजीयक सिंधाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
15. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना।

..............अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

अधिवक्ता उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री रामस्वरूप यादव अधिवक्ता
2. अप्रार्थी सं0 की ओर से 3, 6, 13 – श्री रोहित पोषवाल अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं0 10 की ओर से – श्री सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक 15.03.2022

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1595 रकबा 1.59 है. खसरा नम्बर 61[illegible] रक[illegible] 0.69 है. किता 5 कुल खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.76 है., रकबा 3.49 है. प्रार्थी की पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।
2. यह कि ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 60[illegible] रकबा 0.60 है. प्रार्थी पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1864 रकबा 0.68 है., खसरा नम्बर 1865 रकबा 0.62 है., खसरा न्बर 1866 रकबा 0.48 है., खसरा नम्बर 1867 रकबा 1.06 है. किता 4 रकबा 2.84 है. प्रार्थी की पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।
4. यह कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.64 है. प्रार्थी की पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।
5. यह कि वाके ग्राम ढाणी निहालोठ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.96 है प्रार्थी की पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।
6. यह कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.76 है. प्रार्थी की पैत्तृक खातेदारी अविभाजित संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है।
7. यह कि ग्राम पवेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 618, 1307, 1594, 1595, 1827 किता 5 कुल रकबा 3.49 है. में प्रार्थी एवं अनावेदक संख्या 9 लगायत 13 का कुल हिस्सा 451 में से 36 हिस्सा था इस प्रकार प्रार्थी व अनावेदक संख्या 9 लगायत 13 प्रत्येक का इस भूमि में 6/451 हिस्सा था जिसके अनुसार इस भूमि में प्रत्येक के हिस्से में 0.04643 है. रकबा हिस्से में आता था। पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा न्बर 1864 , 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है., में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा ण्वं अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा था। ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 601 में प्रार्थी का 1/6 एवं अप्रार्थी 9 लगायत 13 प्रत्येक का 1/6 —1/6 हिस्सा दर्ज था। अनावेदक संख्या 12 अनिल कुमार ने भूमि खसरा नम्बर 601 में अपना 1/3 हिस्सा बताकर तथा खसरा नम्बर 1864 , 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. में अपना 1/12 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 618, 1307, 194, 1595, 1827 किता 5 कुल रकबा 3.49 है. में कुल 541 में हिस्से 36 में से 1/3 भाग बताकर उसका विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2016 को अनावेदक संख्या 2 लगायत 4 के हक में पंजीकृत करवा दिया जबकि यह अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। अनिल कुमार के अपने पिता किशनलाल के हिस्से में केवल 1/6 हिस्सा ही आता था। उसने खसरा नम्बर 618, 1307, 1594, 1595, 1827 किता 5 कुल रकबा 3.49 है. में अपना हिस्सा 451 में हिस्सा 36 मे अपना 1/3 हिस्सा बताकर विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया जबकि उसमें हिस्सा 1/6 था उसके अनुसार उसके हिस्से में केवल 0.04643 है. रकबा ही आता था। खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866, 1864 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. में उसका 1/12 हिस्सा था। वह उस सम्पूर्ण को बेचान कर चुका था। अर्थात इस भूमि में उसका दिनांक 13.07.2016 के बाद कोई हिस्सा ही शेष नही रहा था। भूमि खसरा नम्बर 601 ग्राम पचेरी कलां स्थित रकबा 0.60 है. में भी अनावेदक संख्या 12 का 1/6 हिस्सा था उसने अपना 1/3 हिस्सा गलत बताकर उसका विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया अर्थात खसरा नमब्श्र 618, 1307, 1594, 1595, 1827 किता 5 कुल रकबा 3.49 है. में भी अनावेदक संख्या 12 का कुल हिस्सा 451 [illegible] 6 हिस्सा ही था उससे ज्यादा का बेचान करने का उसे कोई हक व [illegible] नही था उसने इस भूमि में गलत रूप से कुल हिस्सा 451 [illegible] 36 में से [illegible] बताकर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया है। जो विधि [illegible] व शून्य है। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 9 लगायत 11 के [illegible] प्रभावहिन है। अप्रार्थी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
जिला झुन्झुनूं (राज.)

व 4 को इस भूमिमें अप्रार्थी संख्या 12 के 1/6 हिस्सा से ज्यादा कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है।

8. यह कि अप्रार्थी सं. 12 ने ग्राम पचेरी कलां की भूमि खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. में अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 का बेचान कर दिया था जो दिनांक 13.07.2016 के बाद इस भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा था। अर्थात वह इस भूमि का उसके बाद खातेदार नही रहा था। इस भूमि के बाबत उसके समस्त हक व अधिकार समाप्त हो गये थें।

9. यह कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.64 है. में कुल रकबा 451 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 के 36 हिस्सें थें जिसमें से अप्रार्थी सं. 12 का 1/6 हिस्सा था इसी ग्राम स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0. 76 है. में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 का 5/6 हिस्सा था अप्रार्थी संख्या 12 ने इस भूमि खसरा नम्बर 462 कुल रकबा 415 बताकर उसमें से हिस्सा 36 में अपना 1/3 बताकर व खसरा नम्बर 143 में से 1/3 हिस्सा बताकर दिनांक 13.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया जो प्रार्थी व अप्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 के हक अधिकारों पर शुन्य व प्रभावहीन एवं निष्प्रभावी है।

10. यह कि ग्राम ढाणी निहालोठ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.96 है. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 की पैतृक संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि है। इस भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 का है। शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 के हक पूर्वाधिकारी किशनलाल का पैतृक भूमि थी। अप्रार्थी संख्या 12 का 1/12 हिस्सा था किन्तु उसने 1/6 हिस्सा बताकर विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। जो शुन्य व निष्प्रभावी है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क) कि वाके ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1307, 1594, 1595, 1827 618 किता 5 रकबा 3.49 है. एवं खसरा नम्बर 601रकबा 0.60 है. एवं खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. एवं वाके ग्राम शिवसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.64 है. एवं खसरा नम्बर 145 रकबा 0.76 है. तथा वाके ग्राम ढाणी निहालोठ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1980रकबा 0.96 है. के बिना विभाजन के किसी भी भाग में प्रवेश नही करे, बिना विभाजन के कब्जा नही करे, ना ही स्मपूर्ण भूमि में प्रार्थी के कब्जा कास्त उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित करे। किसी प्रकार से इसमें प्रवेश नही करे। निर्माण नही करे तथा विक्रय नही करे, रहन नही करे, ना स्वयं करे और ना ही अन्य किसी से करवावे। अप्रार्थी संख्या 14 को पाबन्द किया जावे कि इस भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दान, रहन, बैचान गिरवी अथवा हस्तान्तरण विलेख को पंजीकृत नही करे। ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना [illegible]

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] 13 की ओर से जबाब प्रार्थना पेश किया गया [illegible] बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 12, 13 की ओर से जबाव रहा कि – वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, 12, 13 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। किन्तु प्रार्थी के परिजन नही है। स्वर्गीय मुसदीलाल के चार पुत्र हुए है जिसमें केदारमल, प्रभातीलाल, किशनलाल, दुलीचंद है जिसमें दुलीचंद को वंशावली में शामिल नही किया गया है। जबकि दुलीचंद ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1307, 1594, 1595, 1827 618 किता 5 रकबा 3.49 है. में 415 / 1353 का हिस्से का खातेदार भी दर्ज है इस प्राकार प्रार्थी साफ हाथ न्यायालय में नही आया है। खसरा नम्बर 1307, 1594, 1595, 1827 618 किता 5 रकबा 3.49 है. में प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 का कुल रकबा 451 में से 36 था अर्थात प्रत्येक का 6 / 541 हिस्सा था जिसमें से अप्रार्थी संख्या 13 ने अपना हिस्सा अर्थीस . 12 के पक्ष में दिनांक 24.09.2013 को हकत्याग कर दिया । जिसके आधार पर अप्रार्थी 13 के स्थान पर उसके हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 खातेदार दर्ज हो गया। पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. में प्रार्थी व अप्रार्थी 9 लगायत 13 का प्रत्येक का 1 / 12, 1 / 12 हिस्सा था अप्रार्थी संख्या 13 ने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में हकत्याग दिनांक 24.09.2013 को कर दिया। ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.60 है. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 का प्रत्येक का 1 / 6 , 1 / 6 हिस्सा रहा है।जिसमें अप्रार्थी संख्या 13 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में हकत्याग दिनांक 24. 09.2013 को कर दिया। उसके हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 खातेदार दर्ज हो गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विधिवत् विक्रय पत्र से खरीद कर खातेदार बने है। अतः प्रार्थी का प्रार्थन पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किया जावे।

बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

(1) **प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस रही कि–** वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 13 गुणवति ने अपना हिस्सा कभी भी अप्रार्थी संख्या 12 के हक में हक त्याग नही किया है। और ना ही उसे अप्रार्थी संख्या 12 अकेले के हक में पैतृक एवं अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का हक त्याग करने का अधिकार था यदि कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के पैतृक सम्पत्ति में अपने हित एवं हक का त्याग करताहै तो उस हिस्से का हित सभी सहदायिकीयों को मिलेगा। किसी एक व्यक्ति को नही इसलिए यदि ऐसा कोई हक त्याग है तो वह प्रभावहीन एवं शुन्य है। वह हित सभी सहदायिकीयों को बराबर प्राप्त होंगा। इसलिए भी प्रतिवादी संख्या 12 के हक में अप्रार्थी 13 द्वारा कोई हकत्याग विलेख करवाया गया है। तो वह प्रभावीन एवं निष्प्रभावी है। ऐसे हकत्याग हकत्याग विलेख करवाया गया। बिना विभाजन के किसी भी भाग में प्रवेश नही करे, बिना विभाजन के कब्जा नही करे, ना ही सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी के कब्जा कास्त उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित करे। किसी प्रकार से इसमें प्रवेश नही करे। निर्माण नही करे तथा विक्रय नही करे, रहन ... स्वयं करे और ना ही अन्य किसी से करवावे। अप्रार्थी संख्या 14 को पाबन्द किया जावे कि इस भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत ... रहन, बैचान गिरवी अथवा हस्तान्तरण विलेख को पंजीकृत नही ... ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गुढ़ागौड़
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 12, 13 की ओर से बहस रही कि – वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, 12, 13 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। किन्तु प्रार्थी के परिजन नही है। स्वर्गीय मुसदीलाल के चार पुत्र हुए है जिसमें केदारमल, प्रभातीलाल, किशनलाल, दुलीचंद है जिसमें दुलीचंद को वंशावली में शामिल नही किया गया है। जबकि दुलीचंद ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1307, 1594, 1595, 1827 618 किता 5 रकबा 3.49 है. में 415/1353 का हिस्से का खातेदार भी दर्ज है इस प्राकार प्रार्थी साफ हाथ न्यायालय में नही आया है। खसरा नम्बर 1307, 1594, 1595, 1827 618 किता 5 रकबा 3.49 है. में प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 का कुल रकबा 451 में से 36 था अर्थात प्रत्येक का 6/541 हिस्सा था जिसमें से अप्रार्थी संख्या 13 ने अपना हिस्सा अर्थीस . 12 के पक्ष में दिनांक 24.09.2013 को हकत्याग कर दिया । जिसके आधार पर अप्रार्थी 13 के स्थान पर उसके हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 खातेदार दर्ज हो गया। पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866, 1867 किता 4 कुल रकबा 2.84 है. में प्रार्थी व अप्रार्थी 9 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा था अप्रार्थी संख्या 13 ने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में हकत्याग दिनांक 24.09.2013 को कर दिया। ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.60 है. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/6 , 1/6 हिस्सा रहा है।जिसमें अप्रार्थी संख्या 13 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में हकत्याग दिनांक 24.09.2013 को कर दिया। उसके हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 12 खातेदार दर्ज हो गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विधिवत् विक्रय पत्र से खरीद कर खातेदार बने है। अतः प्रार्थी का प्रार्थन पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case):–

वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 13 गुणवति ने अपना हिस्सा कभी भी अप्रार्थी संख्या 12 के हक में हक त्याग नही किया है। और ना ही उसे अप्रार्थी संख्या 12 अकेले के हक में पैतृक एवं अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का हक त्याग करने का अधिकार था यदि कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के पैतृक सम्पत्ति में अपने हित एवं हक का त्याग करता है तो उस हिस्से का हित सभी सहदायिकीयों को मिलेगा। किसी एक व्यक्ति को नही इसलिए यदि ऐसा कोई हक त्याग है तो वह प्रभावहीन एवं शुन्य है। वह हित सभी सहदायिकीयों को बराबर प्राप्त होगा। इसलिए भी प्रतिवादी संख्या 12 के हक में अप्रार्थी 13 द्वारा कोई हकत्याग विलेख करवाया गया है। तो वह प्रभावीन एवं निष्प्रभावी है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी [illegible] ने प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया कि वादगस्त भूमि [illegible] व अनावेदगण संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विधि [illegible] अपने हिस्से की भूमि का किसी भी व्यक्ति के हक में बेचान या हकत्याग करने के लिए अधिकृत है अन्य कोई सह खातेदार अपने हिस्से की [illegible] स्वतंत्र है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी खातेदार अपने हिस्से की भूमि को किसी भी खरीदार या अपने चहेते को बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं
जिला झुंझुनूं (राज.)

करने के लिए स्वतंत्र है उसे बेचान करने या फिर किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से रोका नही जा सकता है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित भूमि में आवेदक व अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसका वर्तमान में विधिवत विभाजन नही हुआं है। किन्तु सहखातेदारों को अपने हक हिस्से का बेचान करना का काश्तकारी अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम में पूरा हक अधिकार है। शामलाती संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का एक –एक इंच पर खातेदार का अधिकार है। अनावेदक संख्या 13 द्वारा संयुक्त खातेदारों द्वारा विधिवत पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाकर पंजीकृत हक त्याग करवाया है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का यह प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आधारहीन होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इसलिए यह बिन्दु अनावेदकगण के पक्ष में व आवेदक के विपरीत तय किया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन**– इस बिन्दु के संबंध में यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि भूमि की वर्तमान संयुक्त खातेदारी भूमि है। आवेदक व अनावेदकगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि का बेचान या अन्य किसी तरह से हस्तान्तरित करने को उसे पुरा अधिकार है। अप्रार्थी ने नियमानुसार राशि अदा कर पंजीकृत विलेख से खरीदा है। इसलिए यह बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में नही पाया जाता है। तथा अनावेदकगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. **अपूर्तनीय क्षति**– इस बिन्दु के संबंध में यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति किसी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही कर सकता। क्योकि संयुक्त खातेदार है अनावेदक जरिये पंजीकृत विलेख किया है। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता है ।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्व स्वीकार योग्य है। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही से खारीज किया जाता **है।**

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 15-03-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:29 IST
Reason: SelfAttested